

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.16(3) वि.स्वा./ग्रुप-2/2017

जयपुर, दिनांक: 08.11.2017

जिला कलेक्टर,  
चित्तौड़गढ़, राजस्थान

विषय:- राज्य के सेवारत चिकित्सकों द्वारा दिनांक 06 नवम्बर, 2017 को सामूहिक इस्तीफे की घोषणा से उत्पन्न स्थिति में वैकल्पिक चिकित्सकीय अत्यावश्यक सुविधाओं के संबंध में निजी चिकित्सालय द्वारा सुविधाएं उपलब्ध कराने बाबत।

महोदय,

राज्य के सेवारत चिकित्सकों द्वारा वेतन, पदोन्नति व अन्य सेवा शर्तों के संबंध में पिछले कुछ समय से राज्य सरकार को ज्ञापन देकर इनमें सुधार की मांग की जा रही थी। राज्य सरकार के स्तर पर इस संबंध में कई बैठकें हुई तथा सेवारत चिकित्सकों को राज्य सरकार ने उनकी मांगों के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए प्रगति से अवगत कराया है। सेवारत चिकित्सकों से सहानुभूति पूर्वक वार्ता करने के बावजूद भी सेवारत चिकित्सकों के द्वारा सामूहिक रूप से दिनांक 06.11.2017 को इस्तीफे दिये जाने की घोषणा की गई है।

प्रदेश के सेवारत चिकित्सकों के उक्त जन विरोधी कार्यक्रम से आमजन को राहत व चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के संदर्भ में निम्नलिखित निजी चिकित्सालय/मेडिकल कॉलेज प्रशासन के द्वारा सेवारत चिकित्सकों की हडताल के दौरान मरीजों को ओपीडी परीक्षण निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने की अपनी सहमति इस शर्त पर दी है कि मरीज अपने साथ राजकीय चिकित्सालय की ओपीडी पर्ची साथ में आवश्यक रूप से लावे जिससे रोगी को औषधि भी राजकीय चिकित्सालय से निःशुल्क प्राप्त हो सके:-

**Chittorgarh**

S.No.	Name of Hospital	Contact Number
1.	Khabya Hospital	9928633931
2.	Akshar hospital	9001016209
3.	Mewar Hospital	01472240332
4.	Radha Krishna hospital	9460040406

**Nimbahera**

S.No.	Name of Hospital	Contact Number
1.	Sharma hospital	9828225031
2.	Ladda Hospital	9414420204

**Rawatbhata**

S.No.	Name of Hospital	Contact Number
1.	Vimla hospital	9694690340
2.	Lahoti Hospital	9352126424


**Badisadri**

S.No.	Name of Hospital	Contact Number
1.	V. M hospital	9414620419
2.	Liberty Hospital	9829059279

**Kapasan**

S.No.	Name of Hospital	Contact Number
1.	S.P.S hospital	7230828222

राजकीय चिकित्सालयों में इस संबंध में होर्डिंग्स लगाकर उपरोक्त प्राइवेट अस्पतालों/चिकित्सकों की जानकारी उपलब्ध कराकर इसका पर्याप्त प्रचार-प्रसार कराये ताकि मरीजों को इस सुविधा की जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही आप अपने स्तर पर भी अन्य प्राइवेट चिकित्सालयों से वार्ता कर उनसे सहयोग प्राप्त करें।

  
(वीनू गुप्ता)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निर्ज सचिव, प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय/मा. राज्य मंत्री महोदय

3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय
4. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं मिशन निदेशक, एन. एच. एम.।
5. निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
7. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, राज.
8. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
9. उपरोक्त सभी निजी चिकित्सालयों/चिकित्सकों को आवश्यक कार्यवाही एवं सहयोग हेतु।
10. प्रभारी सर्वर रूम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सभी संबंधित को ई-मेल करावें एवं विभाग की वेबसाईड पर तुरन्त अपलोड करावें।
11. निजी /रक्षित पत्रावली

45  
(पारस चन्द जैन)  
शासन उप सचिव